रा. अ. शि. परिषद् के कार्य (NCTE)

(iii) देश भर में अध्यापक शिक्षा तथा इसके विकास को समन्वित करना
(iv) विद्यालयों में अध्यापकों की न्यूनतम योग्यताओं से सम्बन्धित दिशा निर्देश तैयार करना।
(v) अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश, चयन, अवधि, पाठ्यक्रम व परीक्षा शिक्षण शुल्क आदि के सम्बन्ध में दिशा निर्देश तैयार करना।
(vi) अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम चलाने के लिए शिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना।
(vii) अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान तथा नवाचार को प्रोत्साहित करना।
(viii) अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के उपाय करना

इस परिषद का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। परिषद में कुल 43 सदस्य है। परिषद के कुल 28 सदस्यों यथा सभापति, उपसभापति, सदस्य सचिव, विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षा शास्त्र के चार प्रोफेसर / संकायाध्यक्ष, माध्यमिक अध्यापक शिक्षा का एक विशेषज्ञ, पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक अध्यापक शिक्षा के तीन विशेषज्ञ, जो अनौचारिक व प्रौढ़ शिक्षा के दो विशेषज्ञ, प्राकृतिक विज्ञान, समाज व विज्ञान आदि के तीन विशेषज्ञ, राज्य तथा केन्द्र प्रशासित प्रदेशों से प्रतिनिधि तथा प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के तीन अध्यापकों को नियुक्ति केन्द्र सरकार के द्वारा की जायेगी। राज्य सभा से एक सदस्य तथा लोकसभा के दो सदस्य अपने अपने सदस्यों के अध्यक्षों द्वारा नामांकित किये जायेंगे। जबकि भारत सरकार का शिक्षा सचिव, वि. वि. अनु. आ. का अध्यक्ष, राष्ट्रीय शैक्षिक अनु. प्रशि. परिषद का निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान का निदेशक, योजना आयोग का शिक्षा सलाहकार, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का अध्यक्ष, भारत सरकार के शिक्षा विभाग का वित्तीय सलाहकार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का सदस्य सचिव सभी चारों क्षेत्रीय समितियों के अध्यक्ष इस परिषद के पदेन सदस्य होंगे।

Scanned with CamScanner